SS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Friday 4th September 2015, Page: 15
Width: 12.88 cms, Height: 7.65 cms, a4, Ref: pmin.2015-09-04.37.151

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की तैयारी

नई दिल्ली | हिमानी चांदना

सिर्फ मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि अब दवाएं दूसरे उत्पादों की तरह ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगी। इसके लिए आपको ई-प्रिसक्रिप्शन या डॉक्टर की पर्ची को स्कैन करके भेजना होगा।

केंद्र सरकार जल्द ही वर्तमान नियमों में बदलाव कर ई-फार्मेसी ईको सिस्टम तैयार करने जा रही है। सरकार के इस कदम से ई-रिटेलिंग करने वालों को जहां लाभ होगा वहीं लोगों को दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। संयुक्त औषधि महानियंत्रक डॉक्टर एस ईश्वर रेड्डी के नेतृत्व में सरकार ने हाई पावर कमेटी गठित की है जो तकनीकी और कानूनी

ई-फार्मेसी

- कानून में बदलाव के लिए उच्च शक्ति कमेटी बनाई गई
- वर्तमान कानून ऑनलाइन बिक्री की इजाजत नहीं देते

बदलाव पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में कई राज्यों से आठ सदस्य हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर जीएन सिंह ने बताया कि अगले तीन महीन में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और छह माह के बाद दवाओं की ऑनलाइन बिक्री शुरू की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता इस बात की है कि कैसे मरीजों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके साथ ही लोगों को नई तकनीक का भी लाभ मिल सके। मई महीने में ई कामर्स वेबसाइट स्नैपडील की परेशानी बढ़ गई थी जब महाराष्ट्र ड्रग कंट्रोल सोसाइटी ने उसे ऑनलाइन दवाएं बेचने से रोक दिया था। तब कंपनी के अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बहस छिड़ गई थी।

सिंह ने कहा कि हमें कई राज्यों से ऑनलाइन ड्रग बिक्री को लेकर सुझाव मिले हैं पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन बिक्री का प्रावधान नहीं है। ऐसा करने के लिए सरकार को डी एंड सी एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट और फार्मेसी एक्ट जैसे कानूनों में बदलाव करना होगा।

hindustantimes